



कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

क/एफ-166/स्टे.आयु./2022/५३८

भिलाई, दिनांक १०.६.२०२२

// आदेश //

नगर पालिक निगम भिलाई (वाहन शाखा) द्वारा वाहनों का पृथक - पृथक वीमा हेतु नस्ती प्रस्तुत किया जाता है, इससे यह ज्ञात नहीं होता है कि निगम के सभी वाहनों का समय पर वीमा हुआ है या नहीं।

अतएव नगर पालिक निगम के समस्त वाहन का गुगलशीट एकसाल पर सूचीबद्ध किया जाये एवं पंजी संधारित किया जाये। पंजी एवं गुगलशीट पर प्रत्येक वाहन खरीदी गई दिनांक, प्रीमियम राशि, आर.सी. बुक का विवरण व पी.यू.सी. प्रमाण पत्र तथा वाहन का वीमा कब से कब तक है उल्लेख किया जाये और प्रत्येक माह के पहली तारीख को वीमा किस - किस वाहन की कब - कब समाप्त हो रही है, उसका परीक्षण कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता/उप अभियंता/लिपिकीय कर्मचारी (वाहन शाखा) पदेन द्वारा माह की पहली तारीख को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस में किया जायेगा और किसी भी वाहन का वीमा तिथि समाप्ति के एक माह पूर्व वाहन की वीमा हेतु नस्ती प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही, वाहनों का फिटनेस का परीक्षण आर.टी.ओ. ऑफिस से उक्त दस्तावेज संलग्न करते हुये कराया जाये और प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये। यह आदेश स्थायी होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रकाश कुमार सर्व
रा.प्र.से.

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई
भिलाई, दिनांक १०.६.२०२२

पृ.क/एफ-166/स्टे.आयु./2022/५३८
प्रतिलिपि:-

- महापौर/सभापति महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
- अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
- अधीक्षण अभियंता I/I, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
- उपायुक्त I/I, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
- जोनआयुक्त/कार्यपालनअभियंता, जोन-1,2,3,4 एवं 5, जलकार्य/स्वास्थ्य/
कम्प्युटर/विद्युत/भवन संधारण/स्टोर, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
- लेखाधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
- जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
- प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाईट (आदेश फाईल) में
अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
- सर्व संवंधित विभाग प्रमुख नगर पालिक निगम,
भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई